निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो को कराये जाने के लिए टेण्डर आमंत्रित किया जाता है। टेण्डर के साथ कार्य हेतु एक प्रतिशत की दर से नकद अर्नेस्टमनी जमा किया जायेगा । अर्नेस्टमनी न दिये जाने पर टेण्डर पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

क0सं0	कार्य का नाम
1	थाना मुगलसराय में बैरक के फर्श व दरवाजे/खिड़की की विशेष मरम्मत
2	थाना अलीनगर में बैरक के छत व दीवारो के प्लास्टर की विशेष मरम्मत
3	महिला थाना के बाथरूम व शौचालय की विशेष मरम्मत
4	महिला थाना में आगन्तुक कक्ष के छत ,दीवारो के प्लास्टर ,फर्श व दरवाजे की विशेष मरम्मत ।
5	थाना मुगलसराय में प्रभारी निरीक्षक कार्यालय के फर्श व दरवाजे/ खिड़की की विशेष मरम्मत
6	थाना चकिया मे ं 8 शौचालयों के छत,दिवारो के प्लास्टर ,फर्श व दरवाजे की विशेष मरम्मत ।
7	थाना बलुआ में कार्यालय, एस0ओ0 कक्ष व कम्प्यूटर कक्ष के फर्श व दीवारो के प्लास्टर की विशेष मरम्मत ।
8	थाना बलुआ में आगन्तुक कक्ष के फर्श, दीवारों के प्लास्टर व दरवाजे/खिड़की की विशेष मरम्मत ।
9	थाना बलुआ में बैरक नं0–2 के छत, फर्श व दीवारों के प्लास्टर की विशेष मरम्मत ।
10	थाना बलुआ में मेस के छत, फर्श व दीवारों के प्लास्टर की विशेष मरम्मत।
11	थाना सकलडीहा में बैरक नं0–2 के छत, फर्श व दीवारों के प्लास्टर की विशेष मरम्मत
12	थाना सकलडीहा में कार्यालय, एस0ओ0 र्कक्ष व लाबी के फर्श व पाइप लाइन की विशेष मरम्मत।

उक्त कार्यो के नक्शे निर्धारित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उसके खुले रहने के किसी भी दिन प्रातः 10 बजे से सायं काल 04 बजे तक देखे जा सकते है।

2– टेण्डर ऐसे लिफाफे में जिन पर टेण्डर शब्द प्रमाणित किया गया हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 24–12–2014 को दोपहर 02 बजे तक दिये जा सकते है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा । टेण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उसके खुले रहने के किसी भी दिन प्रातः10बजे से सायंकाल 04 बजे तक रू0 50/– की दर से जमा करके निर्धारित तिथि के पूर्व सायंकाल 04 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। टेण्डर अधोहस्ताक्षरी /अधिकृत अधिकारी द्वारा उसी दिन अपरान्ह में खोले जायेगें ।

3– उस व्यक्ति जिसका टेण्डर अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा, को हस्ताक्षर करने हेतु बुलाये जाने की तारीख से 07 दिवस के अन्दर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर उसकी अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी तथा टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी । यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का टेण्डर अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाय वह अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की गयी तिथि से कार्य प्रारम्भ कर दे एवं समय से समाप्त कर दें।

4– परिक्षेत्र/जोन स्तर पर पंजीकृत तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में अंकित ठेकेदारों को ही टेण्डर फार्म प्रदान किया जायेगा ।

5–   शासनादेश संख्या–2057/23–7–09–25(सा)09 दिनांक 30–6–2009, 24–7–2009, 20–8–2009 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदारो को क्रमशः 21 एवं 02 प्रतिशत कार्य आरक्षित किये गये है अतएव अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ठेकेदारो को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6–   अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम टेण्डर ,एग्रीमेन्ट में निहित शर्तो को स्वीकार करने तथा किसी टेण्डर को अस्वीकार करने के लिए कारण प्रस्तुत करने को वाध्य नही होगा ।

जिस व्यक्ति अथवा फर्म का टेण्डर स्वीकार कर लिया जायेगा उसे टेण्डर की धनराशि का 10प्रतिशत जमानत धनराशि पुलिस अधीक्षक, चन्दौली के नाम से धरोहर कराकर तुरन्त जमा करना होगा । यदि जमानत धनराशि एन0एस0सी0 अथवा किसी बचत पत्र के रूप में जमा की जाती है तो उस पर 62.50रूप्ये प्रति हजार की दर से तथा नकद जमा करने पर 125/ःरू0 प्रति हजार की दर से स्टैम्प शुल्क देना होगा ।

संख्या–भ–25/2014
दिनांक–दिसम्बर 2014

पुलिस अधीक्षक,
चन्दौली।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–   जिलाधिकारी चन्दौली।
2–   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर/गाजीपुर ।
3–   पुलिस अधीक्षक,तकनीकी सेवाये, जवाहर भवन लखनऊ को वेबसााइट पर रखने हेतु ।
4–   परिक्षेत्रीय अभियन्ता वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी ।
5–   क्षेत्राधिकारी भवन।
6–   प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन चन्दौली को नोटिस बोर्ड पर रखने हेतु ।
7–   प्रधान लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चश्पा करें ।
8–   ठेकेदार संजय एण्ड कम्पनी , सकलडीहा रोड, चन्दौली।
9–   ठेकेदार मेसर्स दास ब्रदर्श निवासी 10 कैन्ट वाराणसी ।
10–   ठेकेदार माता प्रसाद निवासी सी0के0/65/401–बी–बडी पियरी वाराणसी।
11–   ठेकेदार दूधनाथ चौहान चौवेपुर वाराणसी ।